



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29072026-274909
CG-MH-E-29072026-274909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3892]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3892]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 2734 दिनांक 03 जून 2026 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

मुंबई, 23 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20E के तहत

का.आ. 4062(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 04 जुलाई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3010 (E) तारीख 04 जुलाई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना (131 किलोमीटर)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना खंडवा जिले दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक भास्कर” और “दैनिक पत्रिका” में तारीख 09-07-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों कि सुनवाई कि गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसार मे आदेश पारित कर दिये गए हे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के अंतर्गत 1 गाँव का विशेष रेल परियोजना “भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना (131 किलोमीटर)” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र.	प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	प्रकाशित प्रविष्टि				संशोधित प्रविष्टि						
			तहसील का नाम	7/12 अनुसार भू धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफळ (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफळ (हे.आर.)	गांव का नाम	तहसील का नाम	7/12 अनुसार भू धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफळ (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफळ (हे.आर.)
1	03/अ – 82 (NH/ 2025- 26	बोरगाव बुजुर्ग प.ह.नं 58	पंधाना	मधुकर सौपान बर्जेलाल श्यामराव वगैरह	520	1.870	1.450	जामठी प.ह.नं 58	पंधाना	मधुकर सौपान बर्जेलाल श्यामराव वगैरह	697	1.870	1.450
2				सदाशिव दगडू वगैरह	522	1.800	1.525			सदाशिव दगडू वगैरह	699	1.800	1.525
3				मीरा पति राजेन्द्र वगैरह	523	2.320	0.871			मीरा पति राजेन्द्र वगैरह	700	2.320	0.871
4				अम्बालाल पिता भगवान	524	2.100	0.511			अम्बालाल पिता भगवान	701	2.100	0.511
5				नत्थीबाई पति रेमसिंग	525/1	0.940	0.241			नत्थीबाई पति रेमसिंग	702	0.940	0.241
6				पालुबाई प्रेमसिंग	525/5	0.940	0.122			पालुबाई प्रेमसिंग	703	0.940	0.122
7				रामचंद्र पिता देवकरण	526/1	0.016	0.016			रामचंद पिता देवकरण	704	0.016	0.016
8				छोटीबाई पत्नि दगडुलाल वगैरह	526/2	3.920	0.677			छोटीबाई पत्नि दगडुलाल वगैरह	705	3.920	0.677

क्र.	प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	प्रकाशित प्रविष्टि				संशोधित प्रविष्टि						
			तहसील का नाम	7/12 अनुसार भू धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफळ (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफळ (हे.आर.)	गांव का नाम	तहसील का नाम	7/12 अनुसार भू धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफळ (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफळ (हे.आर.)
9				रोहित पिता मुरार वगैरह	528	3.170	0.595			रोहित पिता मुरार वगैरह	707	3.170	0.595
10				अजय पिता किशोर वगैरह	529	1.250	0.299			अजय पिता किशोर वगैरह	709	1.250	0.299
11				सोनिबाई बेवा लछू वगैरह	530	1.620	0.336			सोनिबाई बेवा लछू मत वारिसान विक्रम. सुरेश. संतोष. पार्वतीबाई. भागवतीबाई पिता लच्छू	710	1.620	0.336
12				मनिषा पति राजकुमार	531	0.750	0.167			मनिषा पति राजकुमार	711	0.750	0.167
13				लालसिंग पिता कालू वगैरह	532	1.150	0.300			लालसिंग पिता कालू वगैरह	712	1.150	0.300
14				सोनिबाई बेवा लछू वगैरह	533	0.420	0.110			सोनिबाई बेवा लछू मत वारिसान विक्रम.सुरेश. संतोष. पार्वतीबाई. भागवतीबाई पिता लच्छू	713	0.420	0.110
					कुल	22.266 (हे.आर.)	7.22 (हे.आर.)				कुल	22.266 (हे.आर.)	7.22 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/BSL-KNW 3rd & 4th/Jamathi VIg/20E/Corrigendum]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 2734 DATED 03 JUNE 2026, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Mumbai, the 23rd July, 2026

Under clause 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4062(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3010 (E) dated 4th July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 4th July 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the

purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Bhusawal-Khandwa 3rd & 4th line Project (131 Kms)**” in the district of **Khandwa** in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in for **Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Pandhana** in daily newspapers namely “**Dainik Bhaskar**” & “**Dainik Patrika**” Dated 09-07-2025 respectively under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, objections were received. Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of Section D of the said act.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project of “**Bhusawal-Khandwa 3rd & 4th line Project (131 Kms)**” for 1 village in the District Khandwa in the State of Madhya Pradesh.

SR.NO.	Land Acquisition Proposal No.	Name of village	Published Entry				Amended Entry						
			Tehsil	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No.	Total area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquired Area (Ha.)	Name of village	Tehsil	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No.	Total area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquired Area (Ha.)
1	03/A – 82(NH)/ 2025-26	Borgaon Buzurg P.H. N.58	Pandhana	Madhukar Sopan Brijlal Shyamrao & Others	520	1.870	1.450	Jamathi P.H. N. 58	Pandhana	Madhukar Sopan Brijlal Shyamrao & Others	697	1.870	1.450
2				Sadashiv Dagadu & Others	522	1.800	1.525			Sadashiv Dagadu & Others	699	1.800	1.525
3				Mira Pati Rajendra & Others	523	2.320	0.871			Mira Pati Rajendra & Others	700	2.320	0.871
4				Ambala Pita Bhagwan	524	2.100	0.511			Ambala Pita Bhagwan	701	2.100	0.511
5				Natthibai Pati Remsingh	525/1	0.940	0.241			Natthibai Pati Remsingh	702	0.940	0.241
6				Parubai Premsingh	525/2	0.940	0.122			Parubai Premsingh	703	0.940	0.122
7				Ramchandra Pita Devkaran	526/1	0.016	0.016			Ramchandra Pita Devkaran	704	0.016	0.016
8				Chotibai Patni Dagadulal & Others	526/2	3.920	0.677			Chotibai Patni Dagadulal & Others	705	3.920	0.677
9				Rohit Pita Murar &	528	3.170	0.595			Rohit Pita Murar &	707	3.170	0.595

SR.NO.	Land Acquisition Proposal No.	Name of village	Published Entry				Amended Entry						
			Tehsil	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No.	Total area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquired Area (Ha.)	Name of village	Tehsil	Land Owners Name According to 7/12 Extracts	Survey No.	Total area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquired Area (Ha.)
				Others						Others			
10				Ajay Pita Kishor & Others	529	1.250	0.299			Ajay Pita Kishor & Others	709	1.250	0.299
11				Sonibai Bewa Lacchu & Others	530	1.620	0.336			Sonibai Bewa Lacchu Mat Varisan Vikram, Suresh, Santosh, Parvatibai, Bhagwatibai Pita Lacchu	710	1.620	0.336
12				Manisha Pati Rajkumar	531	0.750	0.167			Manisha Pati Rajkumar	711	0.750	0.167
13				Lalsingh Pita Kalu & Others	532	1.150	0.300			Lalsingh Pita Kalu & Others	712	1.150	0.300
14				Sonibai Bewa Lacchu & Others	533	0.420	0.110			Sonibai Bewa Lacchu Mat Varisan, Vikram, Suresh, Santosh, Parvatibai, Bhagwati bai Pita Lacchu	713	0.420	0.110
				Total		22.266 (Ha.)	7.22 (Ha.)			Total		22.266 (Ha.)	7.22 (Ha.)

[F. No. G197/BSL-KNW 3rd & 4th/Jamathi VIg/20E/Corrigendum]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)